

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला निर्वाचन शाखा)

विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के लिये डस्टबीन का क्रय  
अल्पकालीन निविदा

विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के लिए भागलपुर जिला में प्रयुक्त होने वाले डस्टबीन की आपूर्ति/दर निर्धारण हेतु इच्छुक निविदादाता/फर्मों से जो आयकर एवं GST में निबंधित हो, से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। अल्पकालीन मुहरबंद निविदा दिनांक 16.10.2020 के 01:00 बजे अपराहन तक जिला निर्वाचन कार्यालय, भागलपुर में प्राप्त किया जायेगा तथा दिनांक 16.10.2020 को 03:30 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें जिला के वेबसाइट [www.bhagalpur.bih.nic.in](http://www.bhagalpur.bih.nic.in) पर या जिला निर्वाचन शाखा, भागलपुर समाहरणालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-जिला पदाधिकारी भागलपुर।

21/10

## डस्टबीन

### तकनिकी शर्त

01. संवेदक/आपूर्तिकर्ता को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भागलपुर के नाम से मो0-10,000/- (दस हजार) रुपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में देना होगा।
02. संवेदक को विगत 3 वित्तीय वर्ष अर्थात् (2017-18), (2018-19), (2019-20) का आयकर रिटर्न देना होगा।
03. संवेदक को तकनिकी निविदा के साथ PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
04. संवेदक/फर्म को जी0एस0टी0 में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं जी0एस0टी0 रिटर्न अगस्त 2020 तक की प्रति संलग्न करना होगा।
05. संवेदक को Trade Licence या विहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। Trade Licence एक वर्ष तक की मान्य है।
06. संवेदक द्वारा फर्म को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
07. कार्य को SUB CONTRACTING नहीं करने एवं निर्धारित समय के अन्दर सभी सामाग्री उपलब्ध कराने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा।
08. निविदा द्विलिफाफा पद्धति में देना होगा यथा वित्तीय निविदा एवं तकनिकी निविदा का लिफाफा अलग-2 शीलबंद (लाह से) किसी एक बड़े लिफाफे में शीलबंद देना होगा। लिफाफे के ऊपर फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
09. विगत तीन वित्तीय वर्ष का निबंधित चार्टर एकाउटेंट से 25 लाख वार्षिक टर्नओवर का बैलेस सीट संलग्न करना होगा।
10. यदि निविदादाता कंपनी/फर्म से निबंधित है तो कंपनी ACT में निबंधित होने संबंधी साक्ष्य संलग्न करना होगा। यदि साझेदारी है तो पार्टनरशिप का डिड देना होगा।

वित्तीय शर्त :- वित्तीय लिफाफे के अन्तर्गत सभी सामाग्री का दर प्रति ईकाई सभी कर सहित एवं परिवहन व्यय सहित अंकित करना होगा। अलग से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

नोट :- विपत्र का भुगतान सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

  
उप निर्वाचन पदा०  
भागलपुर

महाप्रबंधक  
जिला उद्योग केन्द्र

  
उपायुक्त वाणिज्य कर  
अंचल भागलपुर

  
जिला लेखी पदा०  
भागलपुर

अपर समाहर्ता  
भागलपुर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- जिला पदाधिकारी, भागलपुर

9/11/20